प्रेषक,

सचिव
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद।

सेवा में,

संयुक्त सचिव
शिक्षा (5) अनुभाग
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

पत्रांक बे0शि0प0/शा0-5/ /2002-03 दिनांक 18-7-03

विषय:- समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि एवं शिक्षण स्तर की समकक्षता शिक्षा विभाग के समान होने की पुष्टि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन कृपया अपने पत्रसंख्या:159/77-6-02-22(4)/02 दिनांक 5 फरवरी, 2003 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता, भर्ती की विधि एवं शिक्षण स्तर की समकक्षता शिक्षा विभाग के समान होने की पुष्टि हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध सूच्य है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता, एवं शिक्षण स्तर तथा पाठ्यपुस्तकें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं अध्यापकों की अर्हता समान है। तथा मान्यता प्राप्त अध्यापकों की भर्ती की विधि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली -1975 यथासंशोधित नियमावली-1978 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

भवदीय

(संजय सिन्हा)
सचिव
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षापरिषद
इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या बे0शि0प0/शा0-5/ 11257-60 /2002-03 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्रांक संख्या 4947/स0क0/शिक्षा/सहा0-शिक्षक/2002-03 दि0 10 जनवरी 2003 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय सिन्हा) 18/7/03
सचिव
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षापरिषद
इलाहाबाद।